न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर (म०प्र०)

अपील प्र०क्र०..........

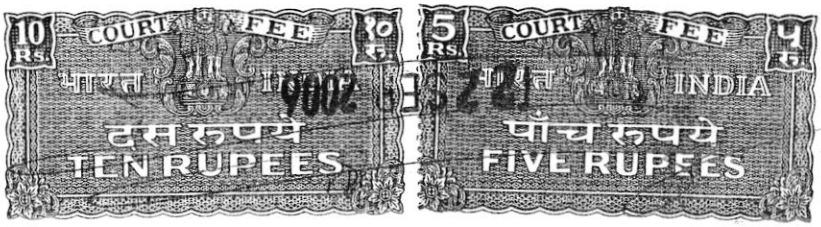

कमिश्नर आफिस
रीवा संभाग, रीवा म० प्र०)
22 SEP 2006
अधीक्षक कमिश्नर

आमजनतममदर, तहसील रामपुर नैकिन, जिला सीधी (म०प्र०), द्वारा- लालमणि मिश्र तनय श्री बटुकनाथ मिश्र, साकिन ममदर, तह० रामपुर नैकिन, जिला सीधी (म०प्र०) ---- अपीलार्थीगण

A 1988-III/2006

बनाम

1. श्री जगन्नाथ प्रसाद पाठक तनय श्री सीताराम पाठक,
2. श्री शंभूमणि प्रसाद अग्निहोत्री तनय श्री देवशरणराम
3. श्री संदीप कुमार) दोनों नाबालिग, दोनों के पिता कमलेश्वर प्रसाद मि
4. श्री कुलदीप कुमार)

जरिये बली सरपरस्त पिता कमलेश्वर प्रसाद मिश्र तनय रामप्रताप मि

5. श्रीमती श्यामवती पत्नी श्री दीनबन्धु पाठक,
6. श्रीमती इन्द्रा कुमारी पत्नी श्री हेतराम पाठक,
7. श्री सोनहले प्रसाद तनय श्री बैजनाथ अग्निहोत्री,
8. श्री दिवाकर प्रसाद अग्निहोत्री, पिता श्री जगतदेव राम ,
9. श्री संजय कुमार मिश्र, पिता श्री लालमणि मिश्र,

सभी निवासी ग्राम ममदर, तह० रामपुर नैकिन, जिला सीधी (म

---------- रेस्पाण्डेण्ट

Presented by Shri. ...
Advocate/Applicant on ... 22-9-06
Supdt
Commissioner's office
Rewa Division
Rewa (M.P.)
Reader

अपील विरुद्ध आदेश अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा, द्वारा जो प्र०क्र० 197/अपील/05-06 में दिनांक 04.07.06 को पारित किया गया है

अपील अन्तर्गत धारा 44(2) म०प्र० भू०रा० 1959.

13/10/06

महोदय,

अपील के आधार निम्न हैं :-

(1) यह कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधि, प्रक्रिया व साक्ष्य के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक 1988 – तीन/2006 अपील जिला – सीधी

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाष आदि के हस्ताक्षर
11-8-17	यह अपील अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 197/2005–06 अपील में पारित आदेश दिनांक 4–7–2006 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 44 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। अपीलांट के अभिभाषक को पूर्व पेशी पर सुना जा चुका है। रिस्पा. सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है। उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। 2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आम–जनता ममदर की ओर से लालमणि मिश्र पुत्र बटुकनाथ मिश्रा, निवासी ममदर ने कलेक्टर सीधी के समक्ष मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 135 के अंतर्गत आवेदन देकर मॉग की कि ग्राम ममदर के घोड़ा टोला के निवासियों के लिये कोई भी बैकल्पिक मार्ग नहीं है जिससे आवागमन में असुविधा है इसलिये आवेदन के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार आने जाने एंव कृषि कार्य की सुविधा के लिये 10 फ्रिुट चोड़ी सड़क के लिये भूमि उपलब्ध कराई जाय। कलेक्टर सींधी ने प्रकरण कमांक 01/अ–14/2003–04 पॅजीबद्व किया तथा वाद जांच पक्षकारों की सुनवाई कर आदेश दिनांक 24–10–2005 पारित किया एंव अपीलांट का आवेदन निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्र0क0 197/ 2005–06	

अपील में पारित आदेश दिनांक 4–7–2006 से अपील निरस्त कर दी। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3/ अपीलांट के अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत तर्को पर विचार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि अपीलांट ने ग्राम ममदर के घोड़ा टोला के निवासियों के लिये कोई भी बैकल्पिक मार्ग नहीं होना बताते हुये आवागमन की असुविधा के कारण संलग्न नजरी नक्शा अनुसार आने जाने एंव कृषि कार्य की सुविधा के लिये 10 फिुट चोड़ी सड़क के लिये भूमि उपलब्ध कराने की मांग रखी है। अपीलांट के दावे में वर्णित तथ्यों की जॉच कराने के उपरांत कलेक्टर सीधी ने मौके की स्थिति का विवरण आदेश दिनांक 24–10–2005 के पैरा 6 में इस प्रकार विवेचित किया है :–

" परीक्षण से यह पाया गया कि आवेदित भूमियों के भूमिस्वामी कई व्यक्ति हैं । स्थल निरीक्षण के समय तैयार किया गया स्थल पंचनामा में किसी भी भूमिस्वामी के हस्ताक्षर बने नहीं पाये जाते हैं इससे तो यह स्पष्ट है कि भूमिस्वामियों की उपस्थिति में स्थल निरीक्षण नहीं किया गया है। स्थल निरीक्षण दिनांक 19–2–03 में यह स्पष्ट लेख किया गया है कि आवेदित सभी भूमियों में मौके से 10 फुट (15कड़ी) रास्ता के रूप में पड़ती पड़ी हुई है मौके पर रास्ता चालू है। "

अर्थात जिन भूमियों की रास्ते हेतु मांग की गई है वह निजी भूमिस्वामियों की है जबकि ग्राम ममदर के घोड़ा टोला के निवासियों के आवा–गमन के लिये मौके पर 10 फुट (15कड़ी) रास्ता पूर्व से

चालू है जिसके कारण कलेक्टर सीधी ने आदेश दिनांक 24–10–05 से अपीलांट के आवेदन को निरस्त करने में त्रृटि नहीं की है और इन्हीं कारणों से अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने कलेक्टर सीधी के आदेश दिनांक 24–10–05 को हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपील सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 197/2005–06 अपील में पारित आदेश दिनांक 4–7–2006 विधिवत् होने से यथावत् रखा जाता है।

सदस्य